DOIT.C

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :F11(443)/DoIT&C/Proj./2021-02385/03139/2023 दिनांक : 22/06/2023

कार्यालयाध्यक्ष
समस्त विभाग,
राजस्थान सरकार

विषयः– राजकाज एप्लीकेशन(अवकाश मॉड्यूल) में लम्बित अवकाश पर कार्यवाही कराने बाबत्

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नियमानुसार 1 जुलाई को प्रत्येक Eligible कार्मिक के अवकाश के खाते में उपार्जित अवकाश क्रेडिट किये जाने का प्रावधान है। राजकाज एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं के लिए 30 जून 2023 को सांयकाल में स्वचालित प्रक्रिया के तहत अवकाश क्रेडिट करने के उद्धेश्य से सिस्टम द्वारा Scheduler चलाया जायेगा, जिससे राजकाज (अवकाश मॉड्यूल) के समस्त उपयोगकर्ताओ के खाते में नियमानुसार **देय उपार्जित अवकाश बैलेंस अपडेट** हो सके।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रक्रिया में **System Scheduler** किसी भी कार्मिक के खाते में अवकाश अपडेट करने से पूर्व यह सुनिश्चित करता है, कि उस कार्मिक द्वारा पूर्व में आवेदित उपार्जित अवकाश पर **अनुशंसा/स्वीकृति अधिकारी के स्तर से कोई Action** (अर्थात् Approve/Reject/Recommendation) लम्बित तो नही है, क्योंकि अवकाश पर Action लम्बित रहने की स्थिति में सिस्टम उस कार्मिक के अवकाश खाते को अपडेट नही कर पाता है। इस कारण कार्मिक को अवकाश के लिए आवेदन करते समय समस्या का सामना करना पडता है एवं संस्थापन शाखा को बाद में उस कार्मिक के खातें में मैनुअली अवकाश क्रेडिट करना पड़ता है इससे संस्थापन शाखा का कार्य अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि आप विभाग में सभी सम्बंधित (**जो राजकाज सिस्टम में अनुशंसा या स्वीकृति अधिकारी हो**) को निर्देशित कर, उनके अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा आवेदित अवकाशों पर 30 जून 2023 से पूर्व आवश्यक कार्यवाही (Approve/Reject Action) करवाना सुनिश्चित करावें।

राजकाज से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु IP Phone 0141-(29) 22281/21304 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(राजेश भाटिया)
अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग।
2. समस्त विभागों के नोडल अधिकारियों/संस्थापन शाखा से अपेक्षा है, कि वे Application Corner→Leave→Details→**Track leave – My department** विकल्प द्वारा रिर्पोट प्राप्त कर विभागीय कार्मिको के राजकाज एप्लीकेशन में लम्बित अवकाश का निस्तारण 30 जून, दोपहर 3.00 बजे से पूर्व करवाना सुनिश्चित करावें।
3. कार्यालय प्रति।

22/06/2023

(अतुल मोहन चतुर्वेदी)
प्रोग्रामर